

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002

ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

सं०:-राज/जैसल-26/सिअर्थ-12

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202
दिनांक.

प्रेषित मै जे. बी. माईन्स एण्ड केमीकल्स
ग्राम- ईन्दावड 341510
तह- मेडता
जिला नागौर

विषय: राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित आपकी बियासर सिलिसियस अर्थ खान क्षेत्रफल 4.5 हैक्टेयर (ML .164/13) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 17.03.2017 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
29	खान में खनन कार्य पुनः मार्च 2017 के दौरान पुनः प्रारम्भ किये गये थे, परन्तु खान के पून प्रारम्भ की सूचना प्रपत्र -सी में अभी तक प्रेषित नहीं की गई है।
नियम 45(5) (ख)	आपकी उपरोक्त खान की आनलाइन मासिक विवरणियां नियमानुसार उसके अगले माह की 10 तारीख से पहले निर्धारित प्रपत्र में क्षेत्रीय खान नियंत्रक, अजमेर को प्रस्तुत की जानी थी लेकिन माह फरवरी 2017 से अभी तक की मासिक विवरणी नियमानुसार क्षेत्रीय खान नियंत्रक, अजमेर को प्रस्तुत नहीं की गई है।
नियम 45(5) (ग)	आपकी उपरोक्त खान की आनलाइन वार्षिक विवरणी नियमानुसार वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित प्रपत्र में क्षेत्रीय खान नियंत्रक, अजमेर को एक जुलाई 2016 से पूर्व प्रस्तुत की जानी थी, लेकिन अभी तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो